भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 583

जिसका उत्तर शुक्रवार, 14 दिसम्बर, 2018 को दिया जाना है

**प्रति न्यायाधीश औसत लंबित मामले**

**+583. श्री संजय सेठः**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश की विभिन्न अदालतों में जजों के सैकड़ों पद खाली पड़े हैं ; (ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो वर्तमान में निचली अदालतों से लेकर उच्चतम न्यायालय तक जजों की तथ्यात्मक स्थिति क्या है ; और

(घ) औसतन प्रति जज कितने मामले लंबित हैं ?

**उत्तर**

**विधि और न्‍याय तथा कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री (श्री पी.पी.चौधरी)**

**(क), (ख) और (ग) :** उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और जिला/अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की मंजूर और कार्यरत पद-संख्या का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| न्यायालय का नाम | न्यायाधीशों की मंजूर पद-संख्या | न्यायाधीशों की कार्यरत पद-संख्या | रिक्ति |
| उच्चतम न्यायालय | 31 | 27 | 4 |
| उच्च न्यायालय | 1,079 | 695 | 384 |
| जिला/अधीनस्थ न्यायालय | 22,644 | 17,509 | 5,135 |

सांविधानिक कार्यढांचे के अनुसार, अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों के चयन और नियुक्ति की ज़िम्मेदारी संबंधित उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों की है। जहां तक राज्यों में न्यायिक अधिकारियों की भर्ती का संबंध है,कुछ राज्यों में भर्ती उच्च न्यायालयों द्वारा की जाती है, जबकि अन्य राज्यों में उच्च- न्यायालयों द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से भर्ती की जाती है।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में रिक्तियों का भरा जाना, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच एक निरंतर और सहयोगकारी प्रक्रिया है। इसमें विभिन्न सांविधानिक प्राधिकारियों से परामर्श और अनुमोदन की अपेक्षा होती है। उच्चतम न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्ताव का आरंभ भारत के मुख्य न्यायाधीश में निहित होता है, जबकि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्ताव का आरंभ संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश में निहित होता है। हालांकि, विद्यमान रिक्तियों को शीघ्रता से भरे जाने का हर एक प्रयास किया जाता है, परंतु उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की रिक्तियाँ सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, न्यायाधीशों की उन्नति (उच्चतम न्यायालय में) और न्यायाधीशों के पदों में बढ़ोत्तरी के कारण भी उद्भूत होती रहती हैं।

**(घ) :** मामलों के लंबित होने का आंकड़ा संबंधित उच्च-न्यायालयों द्वारा रखा जाता है। राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एन.जे.डी.जी.) के वेब-पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, तारीख 10.12.2018 को जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों के मंजूर पदों के हिसाब से 1,288 मामला, प्रति न्यायाधीश के औसत से 2.91 करोड़ मामले लंबित हैं। विभिन्न उच्च- न्यायालयों में न्यायाधीशों के मंजूर पदों के हिसाब से 4,419 मामला, प्रति न्यायाधीश के औसत से 47.68 लाख मामले लंबित हैं।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*